न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 53/2019 (2019/00136) दर्ज दिनांक 06.05.2019

वाद– अन्तर्गत धारा –88, 89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

भगवतीलाल उर्फ भगवानलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. शंकर पिता श्रीराम उर्फ हरिराम कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रोशनलाल पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रतनलाल पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. प्रकाशचन्द पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. प्रहलाद पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. सोहनी बेवा रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. मु0 भरजी पिता पेमा पत्नि जीवराज कुमावत निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. किशनलाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. गेहरीलाल पिता बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. मु0 पूरण पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. मु0 काली पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. मु0 डाली पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. मु0 बदामी बेवा बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. विमलकुमार पिता बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. रोशनलाल पिता बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

16. महेन्द्रकुमार पिता बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
18. श्रीमती शांतादेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. श्रीमती चन्दादेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
20. हीरालाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
21. मु0 चम्पा पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
22. मु0 चांदी पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
23. मु0 सणगारी पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
24. जगदीश पिता किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
25. देवीलाल पिता किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
26. मु0 लेहरी पुत्री किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
27. भागु पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
28. सुरेश पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
29. रमेश पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
30. बालु पिता प्यारा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
31. माधु पिता प्यारा कुमावत कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
32. रामचन्द्र पिता छोगा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः— श्री गणपत राणवा
पेरोकार सरकार

सहायक कलेक्टर
(राजस्व अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

इसमें मेरा / हमारा कोई ... नहीं होगा। फलक।

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:— 53/2019 (2019/00136)
वाद— अन्तर्गत धारा 88 ,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् 88, 89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मटुनिया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी संख्या 55 रकबा 0.74 हे0 चाही चतुर्थ, आराजी संख्या 56 रकबा 0.28 हे0 चाही चतुर्थ, आराजी संख्या 57 रकबा 0.26 हे0 चाही चतुर्थ, आराजी सं0 58 रकबा 0.17 हे0 चाही चतुर्थ, आराजी संख्या 59 रकबा 0.06 हे0 चाही चतुर्थ, आराजी संख्या 70 रकबा 0. 24 हे0 चाही II, आराजी सं0 71 रकबा 0.23 हे0 चाही II, आराजी संख्या 72 रकबा 0.13 हे0 चाही II, आराजी संख्या 73 रकबा 0.13 चाही II कुल किता 9 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमियां खाता संख्या 99 पर अंकित है प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2073—2076 साथ में प्रस्तुत हैं एवं खाता संख्या 100 पर अंकित आराजी संख्या 64 रकबा 0.11 हे0 चाही चतुर्थ , आराजी संख्या 83 रकबा 0.19 हे0 चाही II, आराजी संख्या 646 रकबा 0.05 हे0 बारानी II, आराजी संख्या 760 रकबा 0.23 हे0 बारानी II, आराजी संख्या 1016 रकबा 0.19 हे0 चाही III, आराजी संख्या 1024 रकबा 0. 40 हे0 चाही II, आराजी संख्या 1027 रकबा 0.10 हे0 चाही II, आराजी संख्या 1028 रकबा 0.02 चाही II, आराजी संख्या 1031 रकबा 0.12 हे0 चाही II, आराजी संख्या 1041 रकबा 0.54 हे0 बारानी III, आराजी संख्या 1100 रकबा 0.65 हे0 बारानी II, आराजी संख्या 2217/759 रकबा 0.11 हे0 बारानी II, आराजी संख्या 2219/761 रकबा 0.09 बारानी II कुल किता 13 कुल रकबा 2.80 हे0 एवं खाता संख्या 101 पर अंकित आराजी संख्या 1029 रकबा 0.02 गे0मु0आचा कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 एवं खाता संख्या 224 पर अंकित आराजी संख्या 97 रकबा 0.09 गे0मु0आचा कुल किता 1 कुल रका 0.09 हे0 स्थित हैं । प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2073—2076 साथ प्रस्तुत है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में मेरे पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण में मुझ वादी का नाम सेवन से भगवतीलाल के बजाय भगवानलाल दर्ज जो गया था। प्रमाण में जामाबंदी संवत 2054—2057 की प्रामाणित प्रति साथ प्रस्तुत हैं।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी [illegible] भगवतीलाल के बजाय भगवानलाल दर्ज हो गया हैं जबकि भगवतीलाल [illegible] भगवानलाल में वादी ही हूँ। एवं मैं वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने [illegible] काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे हैं जिससे मैं वादी उपरोक्त [illegible] आराजियात में मेरे नाम भगवानलाल के बजाए भगवतीलाल दर्ज कराये जाने की घोषणा कराये जाने का अधिकारी हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि मुझ वादी के पिता श्रीराम उर्फ हरिराम की मृत्यु के बाद ईन्तकाल सं0 1419 दिनांक 05.09.1998 में सेवन से मुझ वादी का नाम गलत रूप से भगवतीलाल के बजाय भगवानलाल लिख दिया गया एवं सेवने से मेरे पिता श्रीराम का नाम हरिराम लिख दिया गया है। जिसे संशोधन से भगवानलाल पिता श्रीराम व भगवानलाल पिता हरिराम के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम कुमावत निवासी मटुनिया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड सुधार कराये जाने का अधिकारी हैं।
यह कि राजस्व कर्मचारियों ने मुझ वादी को सुने जाने का अवसर नही दिया तथा न ही मृतक श्रीराम के विधिक वारिसान के सही नाम के संबंध में जांच की है। केवल कागजी खानापूर्ति करके मृतक श्रीराम के पुत्र मुझ वादी का नाम भगवतीलाल के बजाय भगवानलाल कर दिया गया एवं मेरे पिता श्रीराम का नाम हरिराम कर दिया गया हैं। जिससे मै वादी उपरोक्त वर्णित आराजियात में भगवानलाल के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम नाम दर्ज कराये जाने की घोषणा कराये जाने का अधिकारी हूँ।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरवाई जावे कि ग्राम मटुनिया के राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी भगवानलाल के नाम की जगह भगवतीलाल पिता श्रीराम दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावे।

यह कि मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भगवानलाल पिता हरिराम के स्थान पर भगवतीलाल पिता श्रीराम कुमावत दर्ज कर संशोधन का आदेश जारी फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.ए. एवं 136 एल0आर0एक्ट का इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 व 20 लगायत 32 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 19 औपचारिक पक्षकार होने से वादी के अधिवक्ता द्वारा इनकी ओर से कोई दाद नहीं चाही गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार से नाम के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। पेरोकार सरकार द्वारा नाम के संबंध में रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि – नाम शुद्धि के संबंध में आवश्यक जांच भू–अभिलेख निरीक्षक कोशिथल से करवाई गई जिनकी रिपोर्ट अनुसार वादी भगवानलाल को भगवतीलाल के नाम से भी पुकारा जाता है, ग्राम मटुनिया में भगवानलाल उर्फ भगवतीलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम कुमावत एक ही व्यक्ति है, इस नाम का वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, वादी भगवानलाल को भगवतीलाल के नाम से भी पुकारा जाता है। उक्तानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41.40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

इसमें मेरा / हमारा कोई ... नहीं होगा। फकत।

Scanned with CamScanner

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार सहाड़ा की रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद बाबत 88, 89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट का यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं—

—: आदेश :—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम मटुनिया के राजस्व रेकार्ड में भगवानलाल पिता श्रीराम के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम एवं भगवानलाल पिता हरिराम के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम कुमावत अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पचोली) 25/06/2021
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 53/2019 (2019/00136) दर्ज दिनांक 06.05.2019
वाद– अन्तर्गत धारा –88, 89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

भगवतीलाल उर्फ भगवानलाल पिता श्रीराम उर्फ हरिराम कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. शंकर पिता श्रीराम उर्फ हरिराम कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रोशनलाल पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रतनलाल पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. प्रकाशचन्द पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. प्रहलाद पिता रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. सोहनी बेवा रामलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. मु0 भरजी पिता पेमा पत्नि जीवराज कुमावत निवासी उल्लाई तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. किशनलाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. गेहरीलाल पिता बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. मु0 पूरण पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. मु0 काली पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. मु0 डाली पुत्री बालु कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. मु0 बदामी बेवा बालु कुमावत निवासी [illegible] तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. विमलकुमार पिता बसन्ती[illegible] तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. रोशनलाल पिता बसन्तीलाल महाजन नि[illegible]ी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

16. महेन्द्रकुमार पिता बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
18. श्रीमती शांतादेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. श्रीमती चन्दादेवी पुत्री बसन्तीलाल महाजन निवासी देवरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
20. हीरालाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
21. मु0 चम्पा पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
22. मु0 चांदी पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
23. मु0 सणगारी पुत्री मांगीलाल कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
24. जगदीश पिता किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
25. देवीलाल पिता किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
26. मु0 लेहरी पुत्री किशोर कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
27. भागु पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
28. सुरेश पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
29. रमेश पिता लेहरू कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
30. बालु पिता प्यारा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
31. माधु पिता प्यारा कुमावत कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
32. रामचन्द्र पिता छोगा कुमावत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थिति अधिवक्ता वादी:– श्री गणपत राणवा
पेरोकार सरकार

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः– 53/2019 (2019/00136)
वाद– अन्तर्गत धारा 88 ,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

डिक्री दिनांक 15.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत राणवा एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ----×------ और इस वाद के खर्च लेखे ----×------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----×------ द्वारा ----×------ को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम मटुनिया के राजस्व रेकार्ड में भगवानलाल पिता श्रीराम के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम एवं भगवानलाल पिता हरिराम के बजाय भगवतीलाल पिता श्रीराम कुमावत अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर ,भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner